

कर्मचारी हित निधि एवं कल्याण (S B F & Welfare)

प्र.1	रेलवे कर्मचारी हित निधि रेलवे मे कब से शुरू किया गया ? In which year was the Staff Benefit Fund introduced in the Railways?
उ.	सन् 1931 से/ From the year 1931.
प्र.2	स्टाफ बेनिफिट फण्ड किस स्तर पर मेन्टेन होता है ? At which level is the Staff Benefit Fund maintained?
उ.	क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर/ At Zonal Railway level. प्राधिकार:- IREC Vol. I Rule No. 801
प्र.3	क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर कर्मचारी हित निधि को कौन संचालित करता है ? Who operates the Staff Benefit Fund on Zonal Railway?
उ.	केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति/ Central Staff Benefit Fund Committee. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.4	कर्मचारी हित निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है ? What is the main aim/object of Staff Benefit Fund?
उ.	कर्मचारी व उनके बच्चो को शिक्षा, खेल व अन्य गतिविधियो मे वित्तीय सहायता/ सुविधा उपलब्ध कराना/ To provide financial assistance/facilities for education, sports and other activities to staff and their children. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 802
प्र.5	कर्मचारी हित निधि को कहां-कहां से निधि प्राप्त होता है ? What are the sources of Staff Benefit Fund?
उ.	जुर्माने से प्राप्त सभी रकम, अराजपत्रित कर्मचारी के समयहरित भविष्य निधि पर बोनस व तीन वर्ष से ज्यादा के अप्रदत्त वेतन / All receipts from fines, all receipts from forfeited PF bonus of non gazette employees and unpaid wages beyond three years. प्राधिकार:- RBE 149/06
प्र.6	प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कर्मचारी हित निधि मे कितने रूपये का योगदान दिया जाता है ? How much amount is contributed by the Government every year towards Staff Benefit Fund?
उ.	प्रत्येक वर्ष रु. 500/- प्रति कर्मचारी /Every year Rs. 500/- per capita. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 805 RBE 62/10
प्र.7	सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली रु. 500/- की राशि कब जमा की जाती है ? When does the amount of Rs. 500/- (per capita) given by the Government every year get credited?
उ.	प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल/ On 1 st April every year. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 805 RBE 62/10
प्र.8	वर्ष 2010-2011 में कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? How much per capita amount is allotted towards the Staff Benefit Fund for the year 2010-11?
उ.	Rs. 500/- per capita/रु. 500/- प्रति व्यक्ति प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 62/10
प्र.9	प्रति व्यक्ति के लिए रु. 500/- की राशि कर्मचारी हित निधि मे किस आधार पर आवंटित की जाती है ? On what basis the allocation of Rs. 500/- per capita towards Staff Benefit Fund is made?
उ.	प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कार्यरत कर्मचारियों के आधार पर/ Based on the sanctioned strength of non gazette employees as on 31 st March every year. प्राधिकार :- IREC Vol.I Rule No. 805

प्र.10	प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कर्मचारियों की गणना में कर्मचारी हित निधि में किन किन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है ? Which categories of staff are included for calculation of employees as on 31 st March for the purpose of Staff Benefit Fund?
उ.	अराजपत्रित स्थायी व अस्थाई कर्मचारी तथा आरपीएफ स्टाफ जो कि 31 मार्च को कार्यरत हैं / Non Gazette permanent and temporary employees including RPF staff who are on roll as on 31 st March. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 805
प्र.11	प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कर्मचारी हित निधि में जो फण्ड जमा किया जाता है वह अनन्तिम होता है या अन्तिम ? Is the funds credited to Staff Benefit Fund on the 1 st of April every year are provisional or final?
उ.	Provisional./ अनन्तिम (प्रोविजनल) प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 805
प्र.12	कर्मचारी हित निधि के तहत प्रति व्यक्ति के लिए शिक्षा पर कितनी राशि आवंटित है ? How much amount is allotted towards education from Staff Benefit Fund?
उ.	Rs. 72.75/- per employee./ रु. 72.75 प्रति कर्मचारी। प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 72.75 RBE 62/10
प्र.13	कर्मचारी हित निधि के तहत ग्रेड पे 1800 व नीचे में कार्यरत कर्मचारियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु कितनी राशि आवंटित है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards scholarship for higher education of girl child of staff in GP 1800/- and below?
उ.	वर्ष 2010-2011 के लिये रु. 100/- प्रति कर्मचारी / Rs. 100/- per employee in the year-10-11. प्राधिकार:- RBE 62/10
प्र.14	कर्मचारी हित निधि के तहत खेलकूद के अलावा अन्य मनोरंजन कार्यों हेतु कितनी राशि आवंटित है How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards recreation other than sports?
उ.	रु. 22.25 प्रति कर्मचारी /Rs. 22.25 per employee. प्राधिकार:- RBE 145/2009
प्र.15	स्टाफ बेनिफिट फण्ड के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि आवंटित है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards promotion of cultural activities?
उ.	रु. 10.50 प्रति कर्मचारी /Rs. 10.50 per employee. प्राधिकार:- RBE 145/2009
प्र.16	कर्मचारी हित निधि के तहत विपत्ति से राहत व बीमारी आदि हेतु कितनी राशि आवंटित है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards relief of distress, sickness etc.?
उ.	रु. 50/- / Rs. 50/- प्राधिकार:- RBE 62/10
प्र.17	स्टाफ बेनिफिट फण्ड के तहत महिला सशक्तिकरण गतिविधियों हेतु कितनी राशि आवंटित है? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards women empowerment activities?
उ.	रु. 23.00 प्रति कर्मचारी / Rs. 23/- per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.18	कर्मचारी हित निधि के तहत विविध कार्यों हेतु कितनी राशि आवंटित है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards Miscellaneous activities?
उ.	रु. 10.50 प्रति कर्मचारी / Rs. 10.50 per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.19	कर्मचारी हित निधि के तहत खेलकूद गतिविधियों हेतु आवंटित राशि क्या है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards sports activities?
उ.	रु. 20.00 प्रति कर्मचारी / Rs. 20/- per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.20	कर्मचारी हित निधि के तहत स्काउट गतिविधियों हेतु आवंटित राशि क्या है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards scouts activities?
उ.	रु. 13.50 प्रति कर्मचारी / Rs. 13.50 per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009, 62/10

प्र.21	कर्मचारी हित निधि के तहत होमियोपैथिक चिकित्सा हेतु आवंटित राशि क्या है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards Homeopathy treatment? उ. रू . 22.50 प्रति कर्मचारी /Rs. 22.50 per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.22	कर्मचारी हित निधि के तहत प्राकृतिक आपदा द्वारा होने वाली विपत्ति से राहत हेतु आवंटित राशि क्या है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards relief in time of crisis arising out of natural calamities? उ. रू . 18.00 प्रति कर्मचारी /Rs. 18/- per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.23	कर्मचारी हित निधि के तहत रेल कर्मचारियों के, मानसिक/शारीरिक रूप से पीड़ित बच्चों के, विशेषकर लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि क्या है ? How much amount is allotted from Staff Benefit Fund towards training of mentally/physically challenged ward especially girls of Railway employees? उ. रू . 27.00 प्रति कर्मचारी /Rs. 27/- per employee. प्राधिकार:- RBE No. 145/2009
प्र.24	क्या केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि (कमेटी) बैठक एक मद का पैसा दूसरे मद पर खर्च कर सकती है ? Whether the Central Staff Benefit Fund Committee is empowered to re-appropriate funds amongst different head/activities? उ. हां। परन्तु कुल रकम का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं /Yes. But not exceeding 25% of the total amount. प्राधिकार:- RBE No. 18/09
प्र.25	केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति किन मदों का पैसा अन्य मदों पर खर्च नहीं कर सकती है ? Funds under which head/activities cannot be re-appropriate by Central Staff Benefit Fund Committee? उ. शिक्षा, खेलकूद व स्काउट गतिविधियों पर आवंटित राशि /Funds allotted for Education, Sports and Scout activities. प्राधिकार:- RBE 18/09.
प्र.26	कर्मचारी हित निधि से संबंधित स्टेशनरी, फॉर्म, पोस्टेज चार्ज तथा अन्य खर्चों का वहन कौन करता है ? Where shall the cost of stationery, printing charges of forms, postage charges and other expenses relating to Staff Benefit Fund borne from? उ. रेलवे राजस्व से /From Railway Revenue. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 806
प्र.27	कर्मचारी हित निधि की बैठक के समय खान-पान पर किया गया व्यय कहां से होगा ? Where shall the expenditure incurred for refreshments during Staff Benefit Fund meetings borne from? उ. कर्मचारी हित निधि से /From Staff Benefit Fund. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 806
प्र.28	कर्मचारी हित निधि का प्रबन्धन कौन करता है ? Who manages the Staff Benefit Fund? उ. प्रधान कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा /A committee formed by headquarters. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.29	प्रधान कार्यालय पर गठित कर्मचारी हित निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है ? Who is the Chairman of the Staff Benefit Fund formed at the headquarters? उ. मुख्य कार्मिक अधिकारी /Chief Personnel Officer. प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.30	अध्यक्ष के अलावा कर्मचारी हित निधि समिति में सरकार की तरफ से कितने सदस्य होते हैं? Other than Chairman, how many members are there from the Administration side in the SBF committee? उ. 02 सदस्य। मुख्य चिकित्सा निदेशक, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, उप महाप्रबन्धक/सामान्य /2 members. Chief Medical Director, Additional Chief Engineer/DGM (G) प्राधिकार:- IREC Vol.I Rule No. 807

प्र.31	केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति में सचिव कौन होता है ? Who is the secretary of the Central Staff Benefit Fund Committee?
उ.	महाप्रबंधक द्वारा नामित एक कल्याण अधिकारी /A Welfare Officer nominated by General Manager. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.32	केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त यूनियन के कितने सदस्य होते हैं ? How many members are there from the recognized unions representing the staff in Central Staff Benefit Fund Committee?
उ.	06 सदस्य /6 members. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.33	प्रधान कार्यालय /मंडल/वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है ? Who is the Chairman of SBF committee at Head Quarter/Division/Workshops level?
उ.	मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी व मंडल कार्मिक अधिकारी/वर्कस् मैनेजर /सहा.वर्कस् मैनेजर/वरि.का.अधि. / Dy.CPO or SPO / Sr.DPO or DPO / (WM/AWM/SPO) as the case may be. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.34	मुख्यालय/मंडल/वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति का सचिव कौन होता है ? Who is the Secretary of SBF committee at Head Quarter/Division/Workshops level?
उ.	Welfare officer / S&WI, APO or S&WI as the case may be. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.35	मुख्यालय/मंडल/वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति में मान्यता प्राप्त यूनियन के कितने सदस्य होते हैं ? How many members are there from the recognized unions representing the staff in SBF at HQ/Divn/W.Shop level?
उ.	प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठनों के दो-दो सदस्य /2 members from each recognized unions. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 807
प्र.36	कर्मचारी हित निधि (कमेटी) बैठक के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है ? What is the tenure of office for SBFC member?
उ.	01 वर्ष /01 Year. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 809
प्र.37	कर्मचारी हित निधि (कमेटी) बैठक के सदस्यों को कौन बर्खास्त कर सकता है ? Who can remove/dismiss the members of SBFC?
उ.	महाप्रबंधक /General Manager प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 809
प्र.38	एक बार बर्खास्त/इस्तीफे के बाद सदस्य को पुनः कर्मचारी हित निधि (कमेटी) बैठक में नामित किया जा सकता है ? Can a member who has been removed/has resigned be re-nominated to SBFC?
उ.	हां /Yes. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 809
प्र.39	किसी मामले में सदस्यों की सहमति न होने पर मामला किसे भेजा जायेगा ? If the members of the committee do not agree on a matter, whom shall it be referred to?
उ.	महाप्रबंधक को और महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा /General Manager. And the GM's decision shall be final. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 810
प्र.40	महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारी हित निधि की वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाती है ? To whom does GM submit the annual report of SBF?
उ.	रेलवे बोर्ड को /Railway Board. प्राधिकार:— IREC Vol.I Rule No. 812
प्र.41	होस्टल (सब्सिडी) सहायिकी कुल कितने बच्चों के लिए दिया जाता है ? Hostel subsidy is granted for how many children?
उ.	अधिकतम 02 बच्चों पर /Upto/max. for 02 children. प्राधिकार:— RBE No. 135/08

प्र.42	हॉस्टल (सब्सिडी) सहायिकी वर्तमान मे कितना दिया जाता है ? How much hostel subsidy is granted at present?
उ.	अधिकतम रू. 3000रू- प्रतिमाह प्रति बच्चा + 25% / Max. upto Rs. 3000/- per month per child. + 25% प्राधिकार:- RBE No. 135/08
प्र.43	हॉस्टल (सब्सिडी) सहायिकी रू. 3000/- प्रति माह कब से देय है ? From which date Hostel subsidy of Rs. 3000/- come to effect ---- ?
उ.	दिनांक 1.9.2008 से /From 01.09.2008 प्राधिकार:- RBE No. 135/08
प्र.44	हॉस्टल (सब्सिडी) सहायिकी किन परिस्थितियों मे देय है ? Under what circumstances the employee is eligible for hostel subsidy?
उ.	जब कर्मचारी के बच्चे अन्य स्टेशन पर आवासीय स्कूल मे अध्ययनरत हो तभी देय है /When the children of employees are kept in hostel of residential school at another station. प्राधिकार:- RBE No. 198/08
प्र.45	हॉस्टल (सब्सिडी) सहायिकी किस कक्षा तक अध्ययनरत बच्चो को देय है ? Hostel subsidy will be allowed for school going children upto which class?
उ.	12 वीं कक्षा तक /Upto 12 th class. प्राधिकार:- RBE No. 198/08
प्र.46	एक कर्मचारी जो कि अन्य विभाग का है और रेलवे मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है को तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है ? Can an employee of other department on deputation to Railway be considered/awarded scholarship for technical education of their children?
उ.	नहीं /No. प्राधिकार :- IREM Vol.II Rule No. 2206 RBE No. 135/08
प्र.47	तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति किन पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जाती है ? Scholarship for technical education is sanctioned for which courses?
उ.	केवल तकनीकी कोर्स हेतु/Only for technical courses. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.48	एक रेल कर्मचारी का बच्चा जिसे स्कूल/कॉलेज से छात्रवृत्ति मिल रही है तो क्या उसे रेलवे द्वारा छात्रवृत्ति देय होगी ? A ward of Railway Employee is in receipt of scholarship from the school/college, will he be eligible for receiving of scholarship from Railways?
उ.	No./ नहीं । प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206(2)
प्र.49	तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय पहली प्राथमिकता किसे दी जाती है ? While sanctioning of technical education scholarship top priority is given to which courses?
उ.	केवल डिग्री कोर्स को /For degree courses. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.50	तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय डिग्री कोर्स के बाद प्राथमिकता किस कोर्स को दी जाती है ? While sanctioning of technical education scholarship, after degree courses priority is given to which courses?
उ.	डिप्लोमा कोर्स /Diploma courses. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.51	तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ग्रुप-डी तथा एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चो हेतु कितना आरक्षण है ? How much percentage of scholarship for technical education is reserved for children of Group D, SC & ST employees?
उ.	ग्रुप डी हेतु 5 प्रतिशत, एससी 15 प्रतिशत व एसटी 7.5 प्रतिशत / Group D-5%, SC-15%, ST-7.5% प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206

प्र.52	यदि तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ग्रुप डी, एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों से आवेदन प्राप्त न होने पर उक्त आरक्षित छात्रवृत्ति क्या लेप्स हो जायेगी ? If no application is received from children of Group D/SC/ST employees for the technical education scholarship, will the amount reserved for them lapse?
उ.	नहीं। अन्य कर्मचारियों के पात्र बच्चों को स्वीकृत की जा सकती है / No. the same shall be sanctioned for eligible wards of other employees. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.53	यदि किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति अथवा विकोटीकृत हो जाने पर उस कर्मचारी के बच्चों को स्वीकृत तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी या चलती रहेगी ? If in case of death, retirement or invalidation of the Railway Employee, will the scholarship for technical education granted to the children of the employee shall be stopped or will it be continued?
उ.	नहीं। कोर्स पूरा होने तक चलती रहेगी /No. It shall continue till completion of course. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.54	यदि एक रेल कर्मचारी रेल सेवा से इस्तीफा/त्यागपत्र दे देता है तो क्या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी ? Will the scholarship granted to the child be stopped if in case the Railway Employee resigns from service?
उ.	हां /Yes. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.55	यदि एक अराजपत्रित रेल कर्मचारी स्थानापन्न रूप से राजपत्रित पद पर पदोन्नत हो जाता है तो क्या उसके बच्चे को स्वीकृत छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी ? If a Non gazetted Railway Employee is promoted to officiate in a gazetted post then will the scholarship sanctioned to the child be withdrawn?
उ.	नहीं, जब तक उनका राजपत्रित पद पर स्थायीकरण नहीं हो जाता /No. till he is confirmed to the gazetted post. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.56	रेलवे इन्सटीट्यूट / क्लब का संरक्षक कौन होता है ? Who is the patron of Railway Institute/club?
उ.	महाप्रबंधक / General Manager.
प्र.57	यदि एक अराजपत्रित कर्मचारी राजपत्रित पद पर नियमित रूप से पदोन्नत हो जाता है तो उसके बच्चे का स्वीकृत छात्रवृत्ति बन्द हो जायेगी ? If a Non gazetted Railway Employee gets a regular promotion to the gazetted post then will the scholarship sanctioned to the child be withdrawn?
उ.	हां /Yes. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.58	यदि किसी रेल कर्मचारी के बच्चे को स्नातकोत्तर मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग की डिग्री हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत है तथा उस कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य रेलवे में हो जाता है तो उसे छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी अथवा चालू रहेगी ? If the child of any Railway employee is granted scholarship for post graduate medical or Engg. degrees, whether in the event of transfer of the employee to another Railway will the scholarship be stopped or continued?
उ.	चालू रहेगी कोर्स पूरा होने तक /Will continue till completion of course. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2206
प्र.59	रेलवे इन्सटीट्यूट / क्लब का उप संरक्षक कौन होता है ? Who is the vice patron of Railway Institute/Club?
उ.	मंडल रेल प्रबंधक / Divisional Railway Manager
प्र.60	रेलवे इन्सटीट्यूट व क्लब आदि का रख रखाव की जिम्मेदारी किस की है ? Who is responsible for the maintenance and upkeep of the Railway Institute and Club?
उ.	रेल प्रशासन / Railway Administration. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2209

प्र.61	यदि एक रेलवे की इमारत अधिकारियों के क्लब के रूप में इस्तेमाल की जाती है तो उसका कोई किराया वसूला जायेगा? Will rent be charged for Railway building which is being used as Officer's Club?
उ.	नहीं /No. प्राधिकार:- IREM Vol.I Rule No. 2210
प्र.62	क्या रेलवे संस्थान में (इन्सटीट्यूट) नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी को किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है ? Can rent free residential accommodation be given to Group D staff employed in Institutes?
उ.	हां /Yes. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2211
प्र.63	रेलवे संस्थानों व क्लबों की सदस्यता किस आधार पर होती है ? What is the type of membership to Railway Institute and Club?
उ.	वैकल्पिक / Optional. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2213
प्र.64	रेलवे संस्थानों व क्लबों के संबंध में नियम बनाने के लिए कौन सक्षम है ? Who is empowered to frame the rules for Railway Institute and Clubs?
उ.	महाप्रबंधक /General Manager. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2217
प्र.65	चलते फिरते पुस्तकालयों के पुस्तकों की कीमत कहां से वहन की जाती है ? From where shall the cost of books of Mobile Library be borne?
उ.	कर्मचारी हित निधि से / From Staff Benefit Fund. प्राधिकार:- IREM Vol.I Rule No. 2218
प्र.66	कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों हेतु अवकाश गृह का किराया कितना है ? What are the rent charges for Holiday Homes for serving Gazetted Officer?
उ.	रु. 25/- प्रतिदिन प्रति सूट / Rs. 25 per day per suite. प्राधिकार:- MCZ/90, SC-01
प्र.67	कार्यरत ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह का किराया कितना है ? What are the rent charges for Holiday Homes for serving Group C and D employees?
उ.	रु. 12/- ग्रुप-सी के लिए व रु. 05/- ग्रुप-डी के लिए प्रतिदिन प्रति सूट / Rs. 12/- for Group-C and 5/- for Group-D per day per suite. प्राधिकार:- MCZ/90, SC-01
प्र.68	सेवानिवृत्त ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह का किराया कितना है ? What are the rent charges for Holiday Homes for retire Group C and D employees?
उ.	रु. 25/- ग्रुप-सी के लिए व रु. 12/- ग्रुप-डी के लिए प्रतिदिन प्रति सूट / Rs. 25/- for Group-C and 12/- for Group-D per day per suite. प्राधिकार:- RBE 140/02
प्र.69	एक रेल कर्मचारी जिसने तकनीकी त्याग पत्र दे दिया है व मानार्थ पासे ले रहा है क्या वह अवकाश गृह की सुविधा का पात्र है ? Will a Railway employee who has given technical resignation and is entitled for complimentary passes be eligible for facility of Holiday Home?
उ.	हां /Yes. प्राधिकार:- RBE 96/08
प्र.70	रेल कर्मचारी के स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु बदलने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? What facility is provided for enabling Railway employees to go for change of climate for convalescing?
उ.	स्वास्थ्य लाभ गृहों की स्थापना /Convalescent Homes are set up. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2226
प्र.71	स्वास्थ्य लाभ गृहों में निकटतम रेलवे डॉक्टर को सप्ताह में कितनी बार जाना चाहिये ? How many times in a week should the nearest Railway doctor attend to the Convalescent Home?
उ.	02 बार /Two times. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2226
प्र.72	स्वास्थ्य लाभ गृहों का किराया कितना होता है ? What are the charges for Convalescent Homes?
उ.	अवकाश गृहों के समान दर /Same rates as of Holiday Homes. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2226

प्र.73	क्या बिना शुल्क के भी स्वास्थ्य लाभ गृहों में ठहराया जा सकता है ? Is it allowed to stay in Convalescent Homes without paying charges? उ. Yes./ हां। प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2226
प्र.74	बिना शुल्क के स्वास्थ्य लाभ गृहों के आवंटन पर शुल्क की वसूली कहा से की जाती है ? From where the charges are recovered in case of allotment of Convalescent Homes free of charges? उ. Staff Benefit Fund./ कर्मचारी हित निधि से। प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2226
प्र.75	रेलो में स्काउट व गाईड किस संघ के अधीन कार्य करता है ? In Railways the Scouts and Guides comes under which association? उ. Bharat Scouts and Guide./ भारत स्काउट एवं गाईड प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2227
प्र.76	प्रत्येक वर्ष स्काउट गाईड कोटे में मंडल स्तर पर ग्रुप डी के तहत कितनी रिक्तियां भरी जाती हैं? How many persons are recruited in a year in Group D under the Scouts & Guides quota at the Divisional level? उ. 02/दो प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2227 a
प्र.77	स्काउट व गाईडों को प्रशिक्षण/शिविर/रैली में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश व पास देय है ? Are Scouts and Guides entitled for special casual leave and passes for attending training camps or rallies? उ. Yes./ हां। प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2228
प्र.78	स्काउट व गाईड को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम कितना विशेष आकस्मिक अवकाश देय है ? How many maximum special casual leave the Scouts and Guides are entitled for in a calendar year? उ. 30 दिन /30 days. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2228
प्र.79	कारखाना अधिनियम द्वारा शासित रेल संस्थानों में कितने कर्मचारियों पर केन्टीन की व्यवस्था की जाती है ? How many no. of employees are required for setting up canteens in Railway establishments which are governed by the Factories Act? उ. 250 कर्मचारी या अधिक /250 employees or more. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2229
प्र.80	हस्तकला केन्द्र की योजना पर खर्च कहाँ से किया जाता है ? From where is the expenditure on Handicraft Centre Scheme is met? उ. कर्मचारी हित निधि से /Staff Benefit Fund. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2239
प्र.81	क्या रेलवे के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में बाहरी व्यक्तियों को भर्ती कर सकते हैं ? Can an outsider be given admission in Railway Vocational Training Centre? उ. नहीं /No प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2240
प्र.82	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ? What type of training is imparted in the Vocational Training Centres ? उ. केवल सरल व्यवसाय /Only simple trades. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2240
प्र.83	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य क्या है ? What is the aim/purpose of the Vocational Training Centre? उ. तकनीकी प्रशिक्षण देना ताकि कुशलता बढ़े / For providing technical training to increase efficiency. प्राधिकार:- IREM Vol.II Rule No. 2240
प्र.84	सांस्कृतिक गतिविधियों को प्राप्ताहित करने हेतु उपकरण खरीदने के लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाती है ? From where funds are provided for procurement of instruments for promotion of cultural activities? उ. कर्मचारी हित निधि से / Staff Benefit Fund. प्राधिकार:- RBE 145/09 & 62/10

प्र.85	सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि आयोजित करने हेतु वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाती है ? From which sources funds are made available for organizing cultural activities like Mushairas, Kavi Samelan, etc?
उ.	कर्मचारी हित निधि से / Staff Benefit Fund. प्राधिकार:- RBE
प्र.86	एक आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक डाक्टर को मानदेय का भुगतान कहाँ से किया जाता है ? From where is the payment of honorarium to the Ayurvedic and Homeopathy doctors are made?
उ.	कर्मचारी हित निधि से। फुल टाईम-रु. 21000/- पार्ट टाईम- रु. 12600/- दि 01.08.2010 / Staff Benefit Fund (Full time Rs. 21000/- and part time Rs. 12600/- from 01.08.10) प्राधिकार:- RBE 112/09
प्र.87	आयुर्वेदिक डिस्पेन्सर को कितना मानदेय दिया जाता है ? How much honorarium is paid to an Ayurvedic Dispenser?
उ.	रु. 7100/- प्रतिमाह /Rs. 7100 per month. प्राधिकार:- RBE 1126/09
प्र.88	एक होम्योपैथिक डिस्पेन्सर को कितना मानदेय दिया जाता है ? How much honorarium is paid to a Homeopathy Dispenser?
उ.	रु. 2000/- प्रतिमाह /Rs. 2000 per month. प्राधिकार:- RBE 112/09
प्र.89	आयुर्वेदिक दवाईयो हेतु स्टाफ बेनिफिट फण्ड से कितने बिल की व्यवस्था की जाती है ? How much amount can be utilized from Staff Benefit Fund on Ayurvedic medicines?
उ.	रु. 8000/- प्राधिकार:- RBE 6/09
प्र.90	होम्योपैथिक डिस्पेन्सर की आवश्यकता न होने पर उसके मानदेय का पैसा कहाँ उपयोग में लिया जाता है ? For what other purpose can the honorarium to Homeopathy Dispenser be utilized in case he is not required?
उ.	होम्योपैथिक दवाईयो में /For Homeopathy medicines. प्राधिकार:- RBE 6/09
प्र.91	होम्योपैथिक दवाईयो हेतु स्टाफ बेनिफिट फण्ड से कितने बिल की व्यवस्था की जाती है ? How much amount can be utilized from Staff Benefit Fund on Homeopathy medicines?
उ.	रु. 3000 + 2000 (रु. 2000/- यदि होम्योपैथिक डिस्पेन्सर न होने पर ही) / Rs. 3000/- + Rs. 2000/- (in case there is no homeopathy dispenser) प्राधिकार:- RBE 6/09
प्र.92	आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक डाक्टर के पार्ट टाईम व फुल टाईम ड्यूटी घंटे क्या हैं ? What are the part time and full time duty hours of homeopathy doctors & Ayurvedic doctor?
उ.	फुल टाईम 08 घंटे व पार्ट टाईम 04घंटे /08 hours full time and 04 hours part time. प्राधिकार:- RBE 06/09

=====